



2026:AHC:38351

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3463 / 2026

कलुआ व 4 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: पुनीत कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत अधीनस्थ न्यायालय को मुकदमा संख्या आरएसटी/7867/2025 (कलुआ व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य), कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या T202507110107867, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के अंतर्गत है, को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
3. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी (गण) इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका संबंधित न्यायालय को उपरोक्त मुकदमे को कानून के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

20 फरवरी, 2026

“Translated, Corrected & Authenticated by me”

Rohit Kushwaha

A/R- 0444 /2018 स्वाति

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”